राजस्थान सरकार

वित्त (आर्थिक मामलात अनुभाग) विभाग

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही (Action Taken) का ज्ञापन।

तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन 15 सितम्बर 2005 को वर्ष 2005 से 2010 की, पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपना प्रतिवेदन 15 मार्च 2006 तक देने के निर्देश के साथ किया गया था। आयोग का कार्यकाल समय–समय पर बढाया गया। आयोग द्वारा महामहिम राज्यपाल को दिनांक 27 फरवरी 2008 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व आयोग द्वारा वर्ष 2005–2006 एवं 2006–07 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 17 फरवरी 2006 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे कार्यवाही के ज्ञापन के साथ दिनांक 10 मार्च 2006 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन जो कि 1 अप्रेल 2005 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के तहत सदन के पटल पर रखा जा रहा हैं। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायो को राशि अन्तरण, अनुदान एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का सारांश अध्याय–IX में दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	आयोग की सिफारिशों का सार	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1.	आयोग द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर स्थानान्तरित राशि का समायोजन अपने अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर किये जाने की सिफारिश की गई है।	पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर स्थानान्तरित एवं वर्ष 2007–08 में प्रावधित राशि यथावत रखी जावे एवं आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में राज्य के शुद्ध कर (मनोरंजन कर को छोड़कर) राजस्व में स्थानीय निकायों का हिस्सा 3.50 प्रतिशत किये जाने संबंधी सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।

2.	राज्य के शुद्ध कर राजस्व (मनोरंजन कर को छोड़कर) का 3.50 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को अंतरण किया जाये। इसमें से 0.50 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को उनके स्वयं के स्रोत के राजस्व में वृद्धि के प्रयास हेतु प्रोत्साहन हेतु चिन्हित (earmarked) किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश वर्ष 2008–09 से स्वीकार कर लिया गया है।
3.	खनिजों (मुख्य एवं गौण दोनों) से राज्य को प्राप्त शुद्ध रायल्टी के 1 प्रतिशत हिस्से का अंतरण ग्राम पंचायतों, जहां खनिजों से रायल्टी की वसूली होती है, को किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
4.	राज्य के शुद्ध मनोरंजन कर की संपूर्ण राशि नगरीय स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में संग्रहण के अनुपात में अंतरित की जाये।	द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में शुद्ध मनोरंजन कर की वास्तविक प्राप्तियों की 15 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित की गई है। मनोरंजन कर से होने वाली प्राप्ति मुख्यतः सिनेमाघरों से होती है, अतः सिनेमाघरों से प्राप्त होने वाली शुद्ध मनोरंजन कर की वास्तविक प्राप्तियों की संपूर्ण राशि नगरीय स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में प्राप्त राजस्व के अनुपात में अंतरण किये जाने संबंधी आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकृत किया गया है। डीटीएच एवं कैबल से प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
5.	राज्य के शुद्ध कर राजस्व के 3.50 प्रतिशत हिस्से का वितरण 1 मार्च 2005 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.7 एवं 24.3 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।
6.	शुद्ध कर राजस्व के 3.50 प्रतिशत हिस्से में से 3 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायो को सिविक सेवाओं के रख–रखाव के लिए एव 0.50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों एंव नगरीय स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन राशि के रूप मे अप्रयुक्त स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर दी जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।

7.	पंचायती राज संस्थाओं को शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण हेतु विभिन्न मानदण्डों के आधार प्रतिवेदन के अध्याय 8 में दिया गया है। प्रत्येक जिले के निर्धारित हिस्से में से जिला परिषद को 3 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 12 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत भाग दिया जाये।	पंचायत राज संस्थाओं को आयोग की सिफारिश के तहत दी जाने वाली राशि को निर्बन्ध (untied) अनुदान के रूप में दिये जाने की आयोग की सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाये कि अनुदान की कम से कम 15 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) हेतु उपयोग लेनी आवश्यक होगी। राशि के उपयोग के संबंध में आयोग द्वारा सुझाये गये कार्यों, जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8.25 पर किया गया है, पर भी स्वीकृति दी जाये। राज्य सरकार को विभिन्न विभागों एवं निगमों की अविवादित (undisputed) बकायात की वसूली के लिये इस राशि से घटाने का अधिकार होगा।राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।
8.	नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित हिस्स की राशि का 80 प्रतिशत सभी श्रेणी की नगरपालिकाओं को जनसंख्या के आधार पर एवं शेष 20 प्रतिशत राशि श्रेणी II, III एवं IV नगरपालिकाओं को जनसंख्या के आधार पर वितरित किये जाने की सिफारिश की गई है।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।
9.	आयोग द्वारा प्रोत्साहन राशि के वितरण के संबंध में निम्न सिफारिशें की गई हैं:– (i) जिला परिषदों में जिलेवार करों में से हिस्से के वितरण हेतु अपनाये गये सिद्धांत के आधार पर ग्राम पंचायतों हेतु प्रत्येक जिले के लिए प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया जायेगा तथा यह राशि जिला परिषद के पीडी खाते में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा कर/गैर–कर के अप्रयुक्त (not tapped) स्रोतों से अतिरिक्त राजस्व उगाहने के बराबर प्रोत्साहन राशि जिला परिषद द्वारा स्वीकृत की जायेगी। संबंधित जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त claim का सत्यापन कर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को वर्ष 2008–09 से स्वीकार किया गया है।

	(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को विवेकाधीन (discretionary) कर एवं शुल्क, के अप्रयुक्त (not tapped) स्रोतों से अतिरिक्त राजस्व उगाहने के बराबर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी। प्रोत्साहन कोष की राशि निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर पर इस प्रयोजन हेतु खोले गये पीडी खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।	
10.	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर नगर निगमों, नगर परिषदों को 12.50 रुपये, द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को 25.00 रुपये एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं को 37.50 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सामान्य प्रयोजन अनुदान दिया जा रहा है, जिसे आयोग ने वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भुगतान किये जाने की सिफारिश की है।	पूर्व में ग्राम पंचायतों एंव पंचायत समितियों को भी भू–राजस्व की एवज में प्रति व्यक्ति अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा था, जिसे वर्ष 2001–2002 से समाप्त किया जा चुका है। नगरीय स्थानीय निकायो को प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाना व पंचायती राज संस्थाओं को नही दिया जाना दोनो निकायो के मध्य असमान होने से अनुपयुक्त हैं। तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के शुद्ध कर (मनोरंजन कर को छोड़कर) राजस्व में निर्धारित 2.25 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 3.50 प्रतिशत एवं मनोरंजन कर की राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर शत–प्रतिशत किये जाने की सिफारिश की है, जिसके फलस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों को पूर्व में दिये जा रहे अनुदान में पर्याप्त वृद्धि होगी। अतः इस समानता के मुद्दे और अनुदान की बढ़ी हुई प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए, इस अनुदान को जारी रखना आवश्यक नहीं है।
11.	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 से 2003–04 तक 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर की वृद्धि से चुंगी क्षति–पूर्ति की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2004–05 से चुंगी क्षति–पूर्ति राशि 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा चुंगी की क्षति–पूर्ति 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ दिये जाने के वादे की पूर्ति करने का सुझाव दिया है। चुंगी क्षति–पूर्ति वर्ष 2008–09 से restore किये जाने की आवश्यकता बताई है एवं चुंगी क्षति–पूर्ति की वृद्धि दर को 10 प्रतिशत कायम रखने की सिफारिश की है।	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 से चुंगी क्षति–पूर्ति राशि 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से दी जा रही है। आयोग की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही नीति के अनुरुप ही हैं। अतः नगरीय स्थानीय निकायों को चुंगी क्षति–पूर्ति की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ दिये जाने संबंधी सिफारिश को कियान्वित माना जाये।

12.	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जो चुंगी समाप्ति से पूर्व चुंगी वसूल कर रही थी) को भी नगरीय स्थानीय निकायों के अनुरूप 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ चुंगी क्षति–पूर्ति की राशि दिये जाने की सिफारिश की गई है।	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को चुंगी क्षति–पूर्ति के पेटे 4.76 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष स्थानान्तरित किया जा रहा है, इस राशि पर कोई वृद्धि नहीं दी जा रही है। पंचायतों के चुंगी हेतु पूर्व में नियुक्त स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अतः चुंगी क्षति–पूर्ति की राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि दिये जाने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार नही किया गया है।
13.	आयोग ने ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य द्वारा मिटिंग में उपस्थित होने पर भत्तों का भुगतान आयोग की सिफारिशों के तहत अंतरित राशि से किये जाने की सिफारिश की है।	आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित की जाने वाली राशि के उपयोग के संबंध में की गई सिफारिशों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि भत्तों में वृद्धि राज्य सरकार की सहमति से की जा सकेगी।

4. आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में अन्य सुझाव तथा सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार एवं परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

5. **क्रियान्विति:**

(i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(ii) राज्य के वास्तविक शुद्ध मनोरंजन कर से अंतरण के संबंध में आदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(iii) खनिजों से प्राप्त रायल्टी की शुद्ध प्राप्तियों के अंतरण के संबंध में आदेश खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(iv) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागों द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(वसुंधरा राजे)
मुख्यमंत्री

दिनांक : 17 मार्च, 2008